पहले: जी. आर. मजीठिया, जे. और ए. एस. नेहरा, जे.

इंद्राज,- **याचिकाकर्ता,**

बनाम

शामलात देह पत्ती जट्टां, गांव दादो रांघरां। तहसील और जिला हिसार अपने सरपंच के माध्यम से और अन्य,-

-उत्तरदाता।

89 में से सिविल संशोधन 1861

6 अगस्त 1992

भूमि अधिग्रहण अधिनियम (1894 का ई)–धारा 30–का बंटवारा मुआवज़ा–संबंधित विवाद–धारा 30 के अंतर्गत संदर्भ–न्यायालय कर सकता है,किसी ऐसे व्यक्ति को पार्टी के रूप में जोड़ें जिसने संदर्भ नहीं मांगा हो–ऐसा व्यक्ति मुआवज़े के बंटवारे का हकदार होना चाहिए-क्षेत्राधिकार न्यायालय प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निर्णय करेगा और सभी का निपटारा करेगा इसमें शामिल प्रश्न निरंकुश हैं।)

(पैरा 8, 10 और 12)

निरंजन सिंह और अन्य बनाम अमर सिंह और अन्य, 1984 पीएलजे 200 ए.आई.आर. 1984 पी.बी. एवं हाई. 250 को खारिज कर दिया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की खंड 30 के तहत कलेक्टर को निर्देश देने का आदेश नहीं दिया गया है; वह विमुकदमा उठाने वाले व्यक्ति को मुकदमे में आंदोलन करने के लिए निष्कासित कर सकता है और पुरस्कार द्वारा घोषित तरीके से मुआवजे का भुगतान कर सकता है।यदि किसी व्यक्ति को मुकदमे के समाधान के लिए निर्वासित किया जा सकता है, तो विभाजन से संबंधित विवाद के पूर्ण निर्णय के लिए उसे संदर्भ में एक मुकदमा के रूप में शामिल करने के लिए कोई रोक नहीं हो सकती है।कोई अन्य दृष्टिकोण न्यायाधीश के उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाएगा।

अभिनिर्धारित किया गया कि कोई व्यक्ति जो कलेक्टर के समक्ष अधिग्रहण की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ है, वह मुआवजे के विभाजन के संबंध में या उस व्यक्ति से संबंधित विवाद उठा सकता है जिसे यह देय है और मुआवजे के अपने अधिकार के निर्धारण के लिए खंड 30 के तहत संदर्भ के लिए कलेक्टर को आवेदन कर सकता है जो पुरस्कार से पहले मौजूद हो सकता है या जो पुरस्कार के बाद से उस पर हस्तांतरित हो सकता है और ऐसा आवेदन करने की कोई सीमा नहीं है।इसका अर्थ है कि कलेक्टर न्यायालय को विभाजन से संबंधित एक से अधिक संदर्भ दे सकता है।अगर कलेक्टर इससे अधिक कमा सकता है|

एक संदर्भ।किसी पक्ष को संदर्भ में एक पक्ष के रूप में शामिल होने की अनुमति से इनकार करना अन्याय होगा।वह विभाजन के अपने अधिकार को स्थापित करने में सफल हो सकता है या मामले को अदालत के समक्ष रख सकता है जो अदालत को मुआवजे के विभाजन के प्रश्न पर प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निर्णय लेने में सक्षम बना सकता है।विद्वान न्यायाधीश ने संहिता के आदेश I, नियम 10 (2) की ओर भी अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया, जो प्रावधान स्पष्ट रूप से संदर्भ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होता है।ये प्रावधान संदर्भ न्यायालय को किसी व्यक्ति को एक पक्ष के रूप में जोड़ने में सक्षम बनाते हैं यदि उसकी उपस्थिति आवश्यक या उचित मानी जाती है।उसके समक्ष विवाद का उचित निर्णय।इसके अलावा, जैसा कि फैसले के पहले भाग में देखा गया है, अधिनियम की खंड 30 के तहत संदर्भ वास्तव में मध्यस्थ वाद की प्रकृति में है और यदि ऐसा है तो यदि कोई व्यक्ति प्रथमदृष्टया यह स्थापित करता है कि उसे कोई अधिकार था जिसके लिए जांच की आवश्यकता है, तो उसे संदर्भ में एक मुकदमा के रूप में शामिल नहीं करना अन्यायपूर्ण होगा।विद्वान न्यायाधीशाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को सही नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह न्यायाधीश के उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाता है और कार्यवाही की बहुलता को समाप्त नहीं करता है।उसी के अनुसार खारिज कर दिया जाता है।

अभिभाषण में कहा गया है कि जिस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 30 के तहत संदर्भ को जब्त कर लिया है, वह किसी व्यक्ति के संदर्भ में एक पक्ष के रूप में जोड़ सकता है यदि यह स्थापित हो जाता है कि वह बिजनेस केडिजाइन का उल्लेख है। डाक टिकट की बुकिंग की जाती है।

श्री बी. पी. जिंदल, एडिशनल के आदेश के संशोधन के लिए 1976 की खंड 115 सी. पी. सी. के तहत याचिका।जिला न्यायाधीश, हिसार दिनांक 9 मई, 1989 ने आवेदन को खारिज कर दिया।

दावाः–भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 की खंड 30 के तहत भूमि संदर्भ मामले में आदेश नियम 10 सी. पी. सी. के तहत आवेदन।

पुनरीक्षण में दावाः–निचली अदालत के आदेश को पलटने के लिए।

माननीय न्यायाधीश जी. सी. मित्तल ने तर्क के दौरान कहा कि इस मामले में विचारों का स्पष्ट टकराव है और इसे एक बड़ी पीठ द्वारा हल किया जाना चाहिए।माननीय न्यायाधीश श्री जी. आर. मजीठिया और माननीय न्यायाधीश श्री ए. एस. नेहरा की खण्ड पीठ ने अंततः 6 अगस्त, 1992 को मामले का फैसला सुनाया और यह अभिनिर्धारित किया कि जिस न्यायालय ने अधिनियम की खंड 30 के तहत संदर्भ को जब्त कर लिया है, वह किसी व्यक्ति को संदर्भ में एक पक्ष के रूप में जोड़ सकता है यदि यह स्थापित हो जाता है कि वह मुआवजे के विभाजन का हकदार है।

याचिकाकर्ता की ओर से एस. डी. बंसल,अधिवक्ता

ओ. पी. शर्मा, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से|

न्याय

जी. आर. मजीठिया जे.

(1) क्या जिस न्यायालय को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की खंड 30 के तहत भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा मुआवजे के बंटवारे के लिए निर्देश दिया गया है, वह किसी व्यक्ति को जोड़ सकता है। एक पार्टी के रूप में जिसने कलेक्टर से संदर्भ नहीं माँगा है, वह प्रश्न निर्धारण के लिए हमारे पास भेजा गया है।संदर्भ की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि इस न्यायालय के एकल पीठ के फैसलों के बीच टकराव था, एक ओर

बीर सिंह बनाम भारत संघ और [12]अन्य (1), और दूसरी ओर मूर्ति श्री राम चंदर जी महाराज बनाम हरियाणा राज्य, और[3] दूसरी ओर(2), बाग सिंह और अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, जिला न्यायालय, जालंधर [4]और दूसरी (3)।

(2) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 (संक्षिप्तता के लिए अधिनियम) की खंड 30 भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को जटिल मामलों में अधिनियम की खंड 11 के तहत निपटाई गई क्षतिपूर्ति राशि के विभाजन के लिए एक वैकल्पिक उपाय प्रदान करती है।वह स्वयं विभाजन के प्रश्न का निर्णय ले सकता है और खंड 11 द्वारा आवश्यक अपने पुरस्कार को पूरा कर सकता है और पक्षकारों को खंड 18 के तहत एक संदर्भ लाने के लिए छोड़ सकता है यदि वे उसके पुरस्कार से असंतुष्ट महसूस करते हैं।यदि वे पुरस्कार प्रतिग्रहण करना करते हैं, तो वह निस्संदेह उसी को दर्ज करेगा जैसा कि खंड 29 में विचार किया गया है, लेकिन यदि उसे मुआवजे के विभाजन के सवाल पर कोई कठिनाई का अनुभव होता है, तो वह खंड 31 के तहत कार्य कर सकता है, हालांकि वह ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं है।खंड 30 के तहत एक संदर्भ एक मध्यस्थ मुकदमा की प्रकृति में है।कार्यवाही उतने ही मुकदमों का एक संयोजन है जितने दावेदार हैं और प्रत्येक दावेदार अभियोक्ता और प्रतिअभियोक्ता दोनों हैं।ऐसे मामलों में उचित प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसका न्यायालय द्वारा हमेशा पालन किया जाता है ताकि प्रत्येक दावेदार को अपने दावे का बयान दायर करने के लिए कहा जा सके-यह बयान उसकी शिकायत होगी।इस प्रकार किए गए दावे के जवाब में, प्रतिवादी, अर्थात्, चुनाव लड़ने वाले दावेदार, बयान दाखिल करेंगे-जो उनके लिखित बयान होंगे।फिर इस मुद्दे का निपटारा किया जाएगा और मुकदमा सामान्य अर्थ में आगे बढ़ेगा।अधिनियम की खंड 53 के आधार पर, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, संहिता) के प्रावधान भूमि अधिग्रहण न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों पर लागू किए जाते हैं, सिवाय इसके कि जहां संहिता का कोई प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत होगा-अर्थात संहिता के प्रावधान न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों पर लागू होते हैं।इस नियम का अपवाद 'द्वारा

---

(1) 1988 (2) L.L.R. 413.
(2) 1987 P.L.J. 131.
(3) 1984 (1) L.L.R. 59 (= 1984 P.L.R. 568.

किया गया है।अधिनियम के तहत न्यायालय का अर्थ एम की परिभाषा के अनुसार न्यायालय है धारा 3(डी) पूर्वोक्त. संहिता के आदेश I, नियम 10(2) के प्रावधान पार्टियों को पक्षकार बनाने से संबंधित हैं जो या तो आवश्यक हैं,पार्टियाँ या उचित पार्टियाँ।अधिनियम प्रयोज्यता को बाहर नहीं करता है,भूमि अधिग्रहण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लिए यह प्रावधान।इसी संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए कि क्या उस व्यक्ति को एक पक्ष के रूप में जोड़ा जा सकता है, जिसकी उपस्थिति न्यायालय को आवश्यक लगती है-संदर्भित विवाद के उचित न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक। वहाँ विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच संघर्ष है, लेकिन इसकी प्रधानता है, न्यायिक घोषणा यह है कि संदर्भ न्यायालय किसी व्यक्ति को जोड़ सकता है एक पक्ष के रूप में यदि वह संतुष्ट है कि विवाद प्रभावी ढंग से निपटाया जाएगा|अंततः फैसला सुनाया गया।

(3) किशन चंद बनाम जगन्नाथ और एक[5] [6]अन्य (4) मामले में भी ऐसा ही विचार रखा गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम की खंड 30 के तहत एक संदर्भ में संदर्भ की सुनवाई करने वाले न्यायालय को सभी आवश्यक या उचित पक्षों को शामिल करने के लिए पर्याप्त अधिकार क्षेत्र मिला है।निर्णय के दौरान, विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रकार टिप्पणी कीः–

"हम खंड 53 की व्यापक भाषा पर रोक का कोई कारण नहीं देखा गया है और सिविल प्रक्रिया संहिता के खंड 32 के प्रावधान हमें अधिनियम संख्या में किसी भी चीज़ के साथ किसी भी तरह से आरक्षण शामिल नहीं है। 1984 का I. हमारे लिए यह स्पष्ट रूप से सभी के हित में विशिष्ट होता है कि लीज लैंड के एक टुकड़े के लिए नीचे दिए गए पत्थरों के बारे में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें से एक को एक ही समय में देखा जाना चाहिए।"

हाशिम इब्राहिम बनाम [7]राज्य सचिव (5) में, यह आयोजित किया गया थाः

(4) 1903 I.L.R. 25 Allahabad 133.
(5) A.I.R. 1927 Cal. 352.

'भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कुछ परिस्थितियों में पक्षों को जोड़ने की अनुमति है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संदर्भ का विषय मूल्यांकन का है या विभाजन का।"

(4) इंदुमती देवी बनाम[89] तुलसी ठाकुरानी (6) में भी यही दृष्टिकोण लिया गया था, जहाँ बी. के. मुखर्जी और रॉक्सबर्ग, जे. जे. ने इस प्रकार कहा थाः–

"खंड 30 के तहत कलेक्टर द्वारा दिए गए संदर्भ में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित पर विचार करने तक सीमित है -कलेक्टर द्वारा स्पष्ट रूप से संदर्भित विवाद।पक्षकारों का जोड़ वास्तव में तब किया जा सकता है जब पक्षकारों के रूप में शामिल होने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति कोई नया विवाद नहीं उठाते हैं, लेकिन कलेक्टर द्वारा भेजे गए विवाद के संबंध में न्यायालय के समक्ष अन्य सामग्री रखना चाहते हैं।"

(5) इन अधिकारियों पर भरोसा करते हुए, केरल की एक डिवीजन बेंच पद्मनाभ मेनन बनाम भास्कर मेनन और [10]अन्य में उच्च न्यायालय (7):-

"जहाँ तक खंड 30 के तहत एक संदर्भ की सुनवाई करने वाले न्यायालय का संबंध है, अधिनियम की स्पष्ट भाषा द्वारा ही सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को लागू किया जाता है, और इसलिए, हम सोचते हैं कि आदेश I, नियम 10 के प्रावधानों के तहत, न्यायालय के समक्ष लंबित विवाद में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को शामिल करने के लिए न्यायालय खुला है, बशर्ते कि निर्दिष्ट विवाद की प्रकृति को बढ़ाया या बदला नहीं गया हो।मुआवजे के विभाजन के प्रश्न के निर्धारण के लिए यह संदर्भ केवल उचित है कि उपयुक्त मामलों में ऐसे व्यक्ति जो संपत्ति में रुचि रखते हैं और जिनके दावों के बारे में भूमि अधिग्रहण अधिकारी को जानकारी नहीं हो सकती है, उन्हें अंतिम और प्रभावी निर्णय के लिए पक्षकारों के रूप में जोड़ा जाना चाहिए।"

(6) एक बार *फिर, कलारिक्कल लक्ष्मीकुट्टी* अम्मा *बनाम कंकथ वेट्टोलिल कन्हिरापल्ली वेलप्पा नायर और* एक [11]अन्य (8) में, यह इस प्रकार देखा गयाः–

"चूंकि खंड 30 के तहत संदर्भ के लिए कोई अन्य प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए इसके प्रावधानों से सहायता लेनी होगी।उस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता।

(6) A.I.R. 1942 Cal. 53
(7) 1963 Kerala Law Journal 724.
(8) A.I.R. 1973 Kerala 79.

अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अधिनियम की खंड 30 के तहत एक संदर्भ के संबंध में आदेश I, नियम 10, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुप्रयोग के साथ असंगत हो। मामले के उस दृष्टिकोण में, न्यायालय को एक व्यक्ति को एक पक्ष के रूप में जोड़ने की शक्ति थी यदि वह न्यायालय को ऐसा करने के लिए उचित प्रतीत होता है; और, विशेष रूप से, यदि न्यायालय को लगता है कि ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक हो सकती है ताकि वह मामले में शामिल सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने और उनका निपटान करने के लिए प्रभावी और पूरी तरह से सक्षम हो सके।निचली अदालत को इस पहलू पर विचार करना चाहिए था और यह निर्णय लेना चाहिए था कि क्या वर्तमान याचिकाकर्ता ने अपने समक्ष कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में जोड़े जाने के लिए पर्याप्त कारण बनाया है।मामले के तथ्यों पर, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि वह अधिग्रहित भूमि और निर्धारित मुआवजे में रुचि रखने वाली व्यक्ति है।"

(7) माउंट *में। सकलबासी कुर* बनाम *बृजेंद्र सिंह और* [12]*अन्य* [13](9), समान दृष्टिकोण लिया गया था और यह इस प्रकार माना गया थाः–

(8) मुआवजे के बंटवारे से संबंधित विवाद उठाने वाला व्यक्ति मुआवजे के अपने अधिकार के निर्धारण के लिए अधिनियम की खंड 30 के तहत अदालत में संदर्भ के लिए कलेक्टर को आवेदन कर सकता है जो पुरस्कार से पहले मौजूद हो सकता है या जो पुरस्कार के बाद से उस पर हस्तांतरित हो सकता है।अधिनियम की खंड 30 के तहत कलेक्टर को निर्देश देने का आदेश नहीं दिया गया है; वह विमुकदमा उठाने वाले व्यक्ति को मुकदमे में आंदोलन करने और पुरस्कार द्वारा घोषित तरीके से मुआवजे का भुगतान करने के लिए हटा सकता है।यदि किसी व्यक्ति को मुकदमे के समाधान के लिए निर्वासित किया जा सकता है, तो विभाजन से संबंधित विवाद के पूर्ण निर्णय के लिए उसे संदर्भ में एक मुकदमा के रूप में शामिल करने के लिए कोई रोक नहीं हो सकती है।कोई अन्य दृष्टिकोण न्यायाधीश के उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाएगा।इस *न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने मूर्ति श्री राम चंदर जी* महाराज बनाम हरियाणा राज्य और एक [14]अन्य (10) मामले में निम्नलिखित टिप्पणियां कींः–

(9) A.I.R. 1967 Patna 243.

(10)1987 PX.J. 131.

"यदि दो व्यक्तियों के बीच विभाजन का प्रश्न अधिनियम की खंड 30 के तहत संदर्भित किया गया था, तो यह हो सकता है किसी तीसरे पक्ष के लिए आदेश I, नियम 10, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन करना संभव था, ताकि वह खुद को शामिल कर सके।लेकिन, इस तरह के आवेदन पर विचार करना संभव नहीं होगा जब आवेदन का दायरा केवल उचित बाजार मूल्य तक ही सीमित हो।"

इन टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि विद्वान न्यायाधीश ने राय दी कि अधिनियम की खंड 30 के तहत एक संदर्भ में, किसी तीसरे पक्ष को संदर्भ के लिए एक पक्ष के रूप में शामिल किया जा सकता है।

(9) बीर *सिंह बनाम* भारत *संघ और*[15] *अन्य (11) में,* विद्वान एकल न्यायाधीश ने विभिन्न प्राधिकरणों का उल्लेख करने के बाद इस प्रकार टिप्पणी कीः–

" मेरा मानना है कि अधिनियम की खंड 53 के स्पष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, आदेश I, नियम 10, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान स्पष्ट रूप से न्यायालय के समक्ष खंड 30 के तहत संदर्भ के मामले की ओर आकर्षित होते हैं, जब संदर्भ के तहत विवाद की प्रकृति नहीं बदलती है।"

हालांकि, तथ्यों पर, विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि जो आवेदक संदर्भ में एक पक्ष के रूप में शामिल होना चाहता है, उसे अपने विवाद को दीवानी न्यायालय में निपटाना चाहिए।यह निर्देश इस कारण से आवश्यक था कि आवेदक को उसके अगले रिश्तेदारों द्वारा सात वर्षों तक नहीं सुना गया था और इसके कारण उसके अगले रिश्तेदारों के पक्ष में विरासत के उत्परिवर्तन का साक्षीकरण हुआ।उत्परिवर्तन आदेश को दीवानी मुकदमे में चुनौती दी गई थी और इसका फैसला उत्तराधिकारियों के एक समूह के मुकदमा में किया गया था और उत्तराधिकारियों का यह समूह अधिनियम की खंड 30 के तहत संदर्भ का मुकदमाकार था। दीवानी अदालत **ने** माना कि बीर सिंह नागरिक रूप से मृत थे।जब बीर सिंह के एक वकील द्वारा खंड 30 के तहत उन्हें पक्षकार के रूप में शामिल करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, तो संदर्भ अदालत ने उन्हें पक्षकार बनाने से इनकार कर दिया और उन्हें दीवानी अदालत से अपना पद स्थापित करने का निर्देश दिया।विद्वान न्यायाधीश ने गुण-दोष के आधार पर पाया कि संदर्भ न्यायालय का आदेश मामले के अस्पष्ट तथ्यों को देखते हुए सही था, लेकिन कानून के मामले में उन्होंने कहा कि किसी तीसरे व्यक्ति को अधिनियम की खंड 30 के तहत संदर्भ में एक पक्ष के रूप में जोड़ा जा सकता है। हालाँकि, एक विसंगत ध्यान दें निरंजन *सिंह और* [16]*अन्य* बनाम *अमर*

(11) 1988 (2) I.L.R. 413.

सिंह और [17]अन्य [18](12) में दर्ज की गई थी।विद्वान न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 30 और 53 के प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद कहा कि-

> "खंड 30 के तहत कलेक्टर द्वारा दिए गए संदर्भ पर न्यायालय के समक्ष कार्यवाही एक विशेष प्रकृति की होती है।न्यायालय अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के विभाजन के संबंध में विवाद का संज्ञान केवल एक संदर्भ पर ले सकता है और जांच कुछ पक्षों के बीच विवाद तक ही सीमित है।न्यायालय दूसरों को पक्षकार बनाकर अपना दायरा नहीं बढ़ा सकता है।जो व्यक्ति कलेक्टर के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे और विवादग्रस्त भूमि के लिए मुआवजे का कोई दावा नहीं किया था, और कलेक्टर के निर्णय में मुआवजे के विभाजन के बारे में कोई शिकायत नहीं की है, वे संदर्भ पर निर्णय देने वाले न्यायालय के समक्ष मुद्दे में शामिल होने के लिए आगे नहीं आ सकते हैं।"

(10) शब्दों को रेखांकित करते हुए कहा गया कि 1 सेवानिवृत्त 5 न्यायाधीश की राय थी कि जिस व्यक्ति ने कलेक्टर के समक्ष अपने दावे के लिए दबाव नहीं डाला था, वह संदर्भ न्यायालय से उसे संदर्भ में एक पक्ष के रूप में शामिल करने के लिए नहीं कह सकता था।ये टिप्पणियां करते समय, विद्वान न्यायाधीश ने इस बात की सराहना नहीं की कि अधिनियम की खंड 30 के तहत संदर्भ प्राप्त करने के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है। एक व्यक्ति जो कलेक्टर के समक्ष अधिग्रहण की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ है, वह मुआवजे के विभाजन के संबंध में या उस व्यक्ति से संबंधित विवाद उठा सकता है जिसे यह देय है और मुआवजे के अपने अधिकार के निर्धारण के लिए खंड 30 के तहत संदर्भ के लिए कलेक्टर को आवेदन कर सकता है जो पुरस्कार से पहले मौजूद हो सकता है या जो पुरस्कार के बाद से उस पर हस्तांतरित हो सकता है और ऐसा आवेदन करने की कोई सीमा नहीं है, जिसका अर्थ है कि कलेक्टर न्यायालय में विभाजन से संबंधित एक से अधिक संदर्भ दे सकता है।यदि कलेक्टर एक से अधिक संदर्भ दे सकता है, तो किसी पक्ष को संदर्भ में एक पक्ष के रूप में शामिल होने की अनुमति से इनकार करना अन्याय होगा।वह विभाजन के अपने अधिकार को स्थापित करने में सफल हो सकता है या मामले को न्यायालय के समक्ष रख सकता है जो न्यायालय को मुआवजे के विभाजन के प्रश्न पर प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निर्णय लेने में सक्षम बना

(12) 1984 P.L.J. 200 (A.I.R 1984 PH & Hy.250)

सकता है।विद्वान न्यायाधीश ने संहिता के आदेश I, नियम 10 (2) की ओर भी अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया, जो प्रावधान स्पष्ट रूप से संदर्भ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होता है।ये प्रावधान संदर्भ न्यायालय को किसी व्यक्ति को एक पक्ष के रूप में जोड़ने में सक्षम बनाते हैं।उसके समक्ष विवाद के उचित निर्णय के लिए *उसकी उपस्थिति आवश्यक* या उचित मानी जाती *है।इसके* अलावा, जैसा कि निर्णय के पहले भाग में देखा गया है, अधिनियम की खंड 30 के तहत संदर्भ वास्तव में मध्यस्थ वाद की प्रकृति में है और यदि ऐसा है, तो यदि कोई व्यक्ति प्रथम दृष्टया यह स्थापित करता है कि उसे कोई अधिकार है जिसके लिए जांच की आवश्यकता है, तो उसे संदर्भ में एक मुकदमा के रूप में शामिल नहीं करना अन्यायपूर्ण होगा।विद्वान न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।सही होना क्योंकि यह न्यायाधीश के उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाता है और कार्यवाही की बहुलता को समाप्त नहीं करता है।उसी के अनुसार खारिज कर दिया जाता है।

(11) बीर सिंह बनाम भारत संघ और [1920]अन्य (13) मामले में इस न्यायालय *के एक* विद्वान *एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया* विचार मूर्ति श्री राम चंदर जी महाराज बनाम हरियाणा *राज्य और*[21] *दूसरे*[22] *(14) में व्यक्त* किए *गए विचार के अनुरूप है।हालाँकि,* निरंजन सिंह की सहजता (ऊपर) में एक विसंगत *ध्यान दें दर्ज* की गई थी, जिस पर फैसले के पहले भाग में चर्चा की गई है।फैसला सुनाते समय, मैंने पाया कि भाग सिंह और अन्य बनाम विशेष भूमि *अधिग्रहण कलेक्टर, जालंधर और* एक [23]*अन्य (15) का ऐसा कोई कथित निर्णय नहीं* है, जैसा कि संदर्भ आदेश में उल्लेख किया गया है।हालाँकि, भाग सिंह और अन्य *बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण* कलेक्टर, *जालंधर और एक* [24]*अन्य (16) के रूप में* एक निर्णय बताया गया है, जो स्वर्गीय आई. एस. तिवाना, जे. द्वारा दिया गया है, जो मेरे संज्ञान में आया।उस मामले में, विद्वान न्यायाधीश ने राय दी कि किसी विशेष भूमि के संदर्भ में रुचि रखने वाला व्यक्ति, जिसे अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से अधिग्रहित किया गया है, उसे एक पक्ष के रूप में शामिल करने के लिए संदर्भ न्यायालय का रुख कर सकता है।विद्वान न्यायाधीश अधिनियम की खंड 18 के तहत संदर्भ के संबंध में याचिका पर विचार कर रहे थे। अधिनियम की खंड

(13) 1988 (2) I.L.R. 413.
(14) 1987 P.L.J. 131.
(15) 1984 (1) I.L.R. 59,
(16) A.I.R. 1984 Pb. & Har. 177,

18 (1) और 30 के तहत कलेक्टर द्वारा प्रयोग की जाने *वाली शक्तियां* विशिष्ट हैं और इन्हें कुछ आकस्मिकताओं में लागू किया जाना है।भाग सिंह के मामले में फैसला खंड 18 के तहत एक संदर्भ से संबंधित है न कि अधिनियम की खंड 30 के तहत। इस फैसले के अनुपात का तत्काल मामले के तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं है।

(12) हम तदनुसार यह मानते हैं कि जिस न्यायालय ने अधिनियम की खंड 30 के तहत संदर्भ को जब्त कर लिया है, वह किसी व्यक्ति को संदर्भ में एक पक्ष के रूप में जोड़ सकता है यदि यह स्थापित हो जाता है कि वह मुआवजे के विभाजन का हकदार है।पुनरीक्षण याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनीषा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

बहादुरगढ़,हरियाणा

जी. आर. मजीठिया जे.

जी. आर. मजीठिया जे.